

06 $\frac{02}{25}$ पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बल्स पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया गया। आदेश प्रति तस्सीलदार बाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
अध्यक्ष अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/ 7J

दायरा तिथि : 29-01-2025

आदेश तिथि : 06-02-2025

प्रार्थी :- सुमन कंवर पत्‍नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बेडा तहसील बाली
ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 06-02-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 679/325 रकबा 0.3700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 324 रकबा 0.2300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (मुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कोई राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है खातेदार उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु वर्तमान में खसरा नंबर 324 में से ही आना जना करते हैं।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।
3. यह है कि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
324	0.23 हैक्टर	वा. सो.	53x9=477 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 1,40,000रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंथा की गई। भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 679/325 रकबा 0.3700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकॉर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

सहायक कलक्टर एवं पीठन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 /
अनवान सुमन कंवर बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील वाली के खसरा नंबर 679/325 रकबा 0.3700 हेक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील वाली के खसरा नंबर 324 रकबा 0.2300 हेक्टर में से 477 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अंतर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, वाली देय प्रतिकर राशि को जमा कराये। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्गमी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,40,000/- रुपये प्रति हेक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
324	0.23 हेक्टर	53x9=477 वर्गमीटर	14	6678x2=13356	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 13356/- (अक्षरे तेरह हजार तीन सौ छप्पन रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, वाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, वाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में जमा दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जायेगी। गिराल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 127-131

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, वाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करे।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सैणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील वाली
5. आवेदक सुमन कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बेडा तहसील वाली को सूचनाार्थ।


(दिशि बरनाई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली
दिनांक 06-02-25

उपखण्ड अधिकारी, वाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली

जिला : पाली
पटवारी हल्का : सेणा

तहसील : बाली
ग्राम : जीवदा(बाहरीक्षेत्र)

भू. अ. नि. क्षेत्र : बिसलपुर



खसरा संख्या : 324 क्षेत्रफल : 0.2300 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी सोयम [0.2300]
राज. सरकार

Oh 2... 3/2/25
I. L. Bisalpur
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

- नोट :-
- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 - इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 - प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

ex-court
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली